

उत्तर प्रदेश गजट, २७ अगस्त, १९५५

११७६

वन विभाग

अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित स्पेशल लैंड एक्वीजिशन आफिसरों को उक्त ऐक्ट के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रत्येक के सामने उल्लिखित जिले में प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं जब तक कि वे स्पेशल लैंड एक्वीजिशन आफिसर के पद पर नियुक्त रहें :—

क्रम-सं०	अधिकारी का नाम	जिला
१	श्री अम्बा प्रसाद	बनारस।
२	," त्रिलोक सिंह	फैजाबाद।
३	," फयाज हुसैन	झांसी।
४	," दीनानाथ शर्मा	गोरखपुर।

२४ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ५६२१/१-अ-—न० ६-५५-—लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८६४ (ऐक्ट संख्या १, १८९४) की धारा ३ के खंड (सी) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय श्री करुणा सागर त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर, बस्ती को उक्त ऐक्ट के अधीन जिला बस्ती में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं।

छुट्टी

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३९२०/१४-—६०(१)-५५-—श्री आर० एन० मंगोला, पी० एफ० एस०, डिप्टी कन्सर्वेटर आफ फारेस्ट्स को २२ सितम्बर, १९५५ ई० से ३१ दिनों की उपाजित छुट्टी दी जाती है श्री उन्हें २३ से २६ अक्टूबर, १९५५ ई० रविवार तथा अन्य गजट, छुट्टियाँ उस छुट्टी के साथ सम्मिलित करने की आज्ञा दी जाती है।

नियुक्ति

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३९२०(२)/१४-—६०(१)-५५-—कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से श्री श्रीब्रह्मा, पी० एफ० एस०, असिस्टेंट कन्सर्वेटर आफ फारेस्ट्स को श्री आर० एन० मंगोला, पी० एफ० एस० के स्थान पर, जिनको छुट्टी दी गई है, स्थानापन्न डिप्टी कन्सर्वेटर आफ फारेस्ट्स, कालागढ़ फारेस्ट डिब्बिजन नियुक्त किया जाता है।

विविध

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३२०८/१४-—उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का यह मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा २६ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित जांच करने और अभिलेख तैयार करने में इतना अधिक समय लगेगा कि उस बीच में राज्य सरकार के अधिकारों के बाधित होने की आशंका है।

अतएव अब वह उपर्युक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खंड द्वारा तथा उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (१) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करके ऐसी जांच होने और अभिलेख तैयार होने तक उक्त ऐक्ट के चैप्टर ४ के निदेश इससे संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पर लागू प्रस्थापित करते हैं।

अनुसूची

क्रम-संख्या	भूमि का नाम जो भारतीय वन ऐक्ट परिच्छेद ४ के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित की गई है	जिला	सड़क की लम्बाई मीलों में	सीमा का वर्णन
१	ग्रैंड ट्रंक रोड, मील ५६२/० से लेकर मील ६६३/० तक	कानपुर	मी० फ० फी० ७१ ० ०	जमोन की हवबन्दी पत्थर या सीमेंट के स्तम्भों या खाइयों द्वारा उस स्थान पर की गई है।
२	कानपुर-कालपी सड़क, मील ५२/० से लेकर मील ६६/० तक	"	४४ ० ०	"
३	कानपुर-हमीरपुर सड़क, मील २/० से लेकर मील ३९/० तक	"	३७ ० ०	"
४	प्रोडमगल रोड, मील ११६/० से मील १७३/० तक	"	५४ ० ०	"
५	लखनऊ-कानपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ४६/३-६४० फीट तक	लखनऊ और उन्नाव	४६ ३ ६४०	"
६	लखनऊ-बरेली सड़क मील /० से लेकर मील १५२/० तक	लखनऊ, सीतापुर, शाह-जंपुर, बरेली	१५२ ० ०	"
७	लखनऊ-प्रतापगढ़ सड़क, मील /० से लेकर १०८/० तक	लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़	१०८ ० ०	"
८	लखनऊ-सुल्तानपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ८५/१-२२८ फीट तक	लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी और सुल्तानपुर	८५ १ २२८	"
९	लखनऊ-फैजाबाद सड़क, मील /० से लेकर मील ७६/३-३६६ फी० तक	लखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद	७६ ३ ३६६	"